न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 24/2018

सुखवीर पुत्र श्री कृष्ण जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

..... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 12.09.2018 निर्णय दिनांक : 30.08.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां सम्वत 2036 से 2039 में श्रीकृष्ण वगैरह खातेदारान के साबिक खसरा नं0 37 रकबा 16 बिस्वा आराजी खाते में दर्ज हो रही है, जो भाई, बंटवारा होने के बाद प्रार्थी के पिता श्री कृष्ण के खाते दर्ज की गई, और हाल सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0 आराजी दर्ज की गई है। जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल के खाता संख्या 85 में कुल आराजी किता 8 रकबा 4.53 है0 आराजी खातेदार श्री कृष्ण पुत्र कंवरलाल के खाते दर्ज हो रही है, नामान्तकरण सं0 260 से आराजी खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0 आराजी प्रार्थी के खाते में दर्ज की गई है। मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0 का देखने से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नं0 37 रकबा 16 बिस्वा था इस प्रकार राजस्व कार्मिको ने दौराने सेटलमेंट प्रार्थी का रकबा 0.07 है0 कम कर दिया जो कि 0.13 है0 होना चाहिए था, इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रार्थी का 0.07 है0 रकबा कम कर दिया है। प्रार्थी मौके पर पूरे रकबे 16 बिस्वा अर्थात 0.13 है0 पर काबिज काश्त है। और वर्तमान में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त कर रहा है, लेकिन रेकार्ड में रकबा कम करके 0.06 है0 दर्ज कर रखा है। साबिक खसरा नं0 37 रकबा 16 बिस्वा के अनुरूप हाल खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0 ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां का कमी रकबा 0.07 है0 पूरा किया जाकर प्रार्थी के खाते में खसरा नं0 119 रकबा 0.13 है0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2019/2298 दिनांक 20.06.2019 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मूण्डला में खातेदार श्रीकृष्ण पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

हेक्टेयर कम कर दिया जो कि 0.13 हेक्टेयर होना चाहिए था, इस

कंवरलाल मीना सा0देह के नाम खसरा नं0 57 रकबा 1.73 है0, खसरा नं0 68 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 96 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 115 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 118 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 120 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 225/345 रकबा 0.97 है0 किता 8 रकबा 4.53 है0 भूमि दर्ज थी परन्तु नामा0 नं0 260 दिनांक 20.08.2018 की पालना में खातेदार सुखबीर पुत्र श्री कृष्ण मीना सा0देह के नाम मुताबिक सहमति बंटवारा के निम्न प्रकार भूमि बनीः– 01 सुखवीर पुत्र श्रीकृष्ण मीना सा0 देह सीबीआई शाखा मांगरोल के नाम खसरा नं0 115 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 118 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 120 रकबा 0.32 है0 कुल किता 4 रकबा 1.20 है0 भूमि दर्ज है प्रार्थी के नाम 4 किता 11.20 है0 भूमि मुताबिक बंटवारा के बनी खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0 ग्राम मूण्डला एवं किशनपुरा की सीमा पर स्थित है मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 119 के आस पास के नम्बरो का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत रकबे से मिलान किया गया जिसमें किसी भी खसरा नम्बर का रकबा गत रकबे से बढा हुआ नही बताया ऐसी स्थिति में खसरा नं0 के कमी रकबे की पूर्ति किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि प्रार्थी ने प्रार्थी की ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी हाल खसरा नं0 119 रकबा 0.06 है0 का रकबा में 0.07 है0 पूरा किया जाकर प्रार्थी के खाते में खसरा नं0 119 रकबा 0.13 है0 दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है परन्तु मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 119 के आस पास के नम्बरो का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत रकबे से मिलान किया गया जिसमें किसी भी खसरा नम्बर का रकबा गत रकबे से बढा हुआ नही बताया ऐसी स्थिति में खसरा नं0 के कमी रकबे की पूर्ति किया जाना सम्भव नही है ना ही प्रार्थी ने स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र अधुरा होने से औचित्यहीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

हेक्टेयर कम कर दिया जा कि 0.13 हेक्टेयर होना चाहिए था, इस